कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),

विकास भवन, द्वितीय तल,–336 बुलन्दशहर।

दूरभाष :– 9473942603, ई0–मेल :– cdupjnbsr@gmail.com

पत्रांकः– 815 / यो0–18 / 17 **दिनांकः** 03.08.2026

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
बुलन्दशहर।

विषयः– **दिनांक 02.08.2026 को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ''उ0प्र0 सरकार की जल जीवन मिशन योजना की पानी की टंकी में बच्चों के नहाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल'' के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 02.08.2026 को सोशल मीडिया पर प्रचारित **''उ0प्र0 सरकार की जल जीवन मिशन योजना की पानी की टंकी में बच्चों के नहाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल''** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें जनपद के विकासखण्ड खुर्जा की हसनगढ़ पेयजल योजना के अन्तर्गत बने हुए अवर जलाशय पर बच्चों के नहाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में आख्या इस प्रकार हैः–

1. **हसनगढ़ पेयजल योजना, (खुर्जा):–** अवगत कराना है कि इस पेयजल योजना का कार्य अप्रैल, 2023 में आरम्भ हुआ था। वर्तमान में अवर जलाशय एवं पम्प हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। योजना में कुल प्रस्तावित 11453 मी0 पाइप लाइन के सापेक्ष 11509 मी0 (पूर्ण) पाइप लाइन बिछाने का कार्य, कुल प्रस्तावित 1305 नग हाउस कनेक्शन के सापेक्ष 1105 नग (पूर्ण) हाउस कनेक्शन का कार्य तथा समस्त क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अवर जलाशय के Stair Case पर पूर्व में लगाये हुए अवरोधक को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया। वर्तमान में Stair Case पर पुनः Barricading का कार्य करा दिया गया है। कार्यदायी फर्म को एक सप्ताह में अवर जलाशय के Stair Case पर Railing तथा गेट का कार्य पूर्ण करने एवं बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

संलग्नकः–फोटोग्राफ्स।

भवदीय

(पंकज)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।

अधिशासी अभियन्ता

सावधान
।। जल जीवन मिशन ।।
ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि जल जीवन
के अंतर्गत स्थापित सभी संपत्ति (जैसे - पाइपलाइन,
की टंकी, नल, मोटर, आदि) एक सार्वजनिक एवं
संपत्ति है। किसी भी सरकारी सामग्री या संपत्ति की
-फोड़ करना, चोरी करना या क्षति पहुँचाना एक
संगीन कानूनी और दंडनीय अपराध है।
दण्ड का कड़ा प्रावधानः
संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के तहत)
2 वर्ष तक का कारावास (जेल)
1,00,000 (एक लाख रूपये) तक का जुर्माना
सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी
राष्ट्रीय संमत्ति की रक्षा करें,
जल जीवन मिशन को सफल बनाएं
जल जीवन मिशन को सफल बनाएं
Conota
Welspun Enterprises Limited
Rural Water Supply Project UPJJM
03.08.2026 09:53
28.26980, 77.84592
7RCW+6F, Hasangarh, 203131
S
157°

Conota
Camera for work
Welspun Enterprises Limited
Rural Water Supply Project UPJJM
03.08.2026 09:51
28.26980, 77.84594
7RCW+6F, Hasangarh, 203131
S
169°